135

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल।

नन्हेलाल आ. मोहनलाल (फौत)

वारसान-   PBR/अपील/होशंगाबाद/भू.रा./2018/01148

1. सुभाष आ. स्व.नन्हेलाल

2. श्रीमति जमना बाई पत्नि स्व. नन्हेलाल

3. छन्नूलाल आ. स्व.नन्हेलाल

4. सुशीला बाई पुत्री नन्हेलाल

5. लक्ष्मी बाई पुत्री स्व. नन्हेलाल।

सभी निवासी ग्राम मांदनेर तहसील इटारसी

जिला होशंगाबाद   -------अपीलार्थीगण

बनाम

शिवराम आ. गणेशराम

निवासी ग्राम मांदनेर तहसील इटारसी

जिला होशंगाबाद   ------उत्तरवादी।

अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र.भू राजस्व.

अपीलार्थी यह अपील माननीय आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के न्यायालय के प्रकरण क्र. 45ए/13-14 आदेश दिनांक 9.11.17 एवं अनुविभागीय अधिकारी इटारसी के प्रकरण क्र. 17/बी-121/अपील वर्ष 2011-12 एवं नायब तहसीलदार इटारसी के प्रकरण क्रमांक 233/बी-121/वर्ष 2010-11 द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.12.11 से क्षुब्ध व व्यथित होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की

अधिवक्ता श्री इंद्रजीत पटेल जिला-होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत। 02/01/2018

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **पीबीआर/अपील/होशंगाबाद/भू.रा/2018/1148** बन्देलाल फौत सुभाष / [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-9-2018	आवेदक अधिवक्ता श्री अमित पटेल द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 45/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 9-11-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपने जीवनकाल में प्रश्नाधीन भूमि पर अवैधानिक कब्जेदार रहे तथा उनके निधन उपरांत उनके वारिसान अवैधानिक कब्जे को अपने पक्ष में आधारहीन कारण से सिद्ध करने व बेदखली की कार्यवाही से बचने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे आयुक्त द्वारा अमान्य करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	